CNR No–UPGD010045602016

Date of institution	Date of judgement	Age
03/09/2016	23/07/2026	09/10/20
DD/MM/YY	DD/MM/YY	YY/MM/DD

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(नवीन), गोण्डा।

उपस्थितः–विकास (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या 367 सन् 2016

उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** 1. कल्लू पासी पुत्र राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी,
2. राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र राम खेलावन, निवासीगण कादीपुर पासियनपुरवा, थाना–कर्नेलगंज, जिला गोण्डा।

................अभियुक्तगण।

व

सत्र परीक्षण संख्या 402 सन् 2016

CNR No–UPGD010049272016

Date of institution	Date of judgement	Age
23/10/2016	23/07/2026	09/09/00
DD/MM/YY	DD/MM/YY	YY/MM/DD

उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती प्रसाद, निवासी दुर्जनपुर कुंवर पुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा।

................अभियुक्त।

अपराध संख्या 259/2015,
धारा 272, 273 भा०दं०सं० व
धारा 60(2) आबकारी अधिनियम,
थाना–कर्नेलगंज, जिला गोण्डा।

माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्णीत IN RE OT ISSUE CERTAIN GUIDLINES REGARDING INADEQUACIES AND DEFICIENCIES IN CRIMINAL TRIAL VS STATE OF ANDHRA PRADESH & OTHERS 2021(6) SCALE 63 में दिये गये निर्देशों के अनुसारण में प्रकरण के संक्षिप्त विवरण व तत्य निम्नानुसार हैंः–

(प्रारूप–क)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(नवीन), गोण्डा। उपस्थितः–विकास (उच्चतर न्यायिक सेवा) (निर्णय दिनांकित 23.07.2026) (सत्र परीक्षण संख्या 367/2016 & 402/2016) (अपराध संख्या 259/2015) पुलिस थाना–कर्नेलगंज, गोण्डा	
फरियादी/सूचनाकर्ता	निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह (वादी मुकदमा)
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री हर्षवर्धन पाठक, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण	1. कल्लू पासी, 2. राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी 3. स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री आर०जी०पाठक

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	11.08.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	11.08.2015
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुती दिनांक	158/2015, दिनांकित 04.10.2015 158A/2015, दिनांकित 19.01.2016 158B/2015, दिनांकित 24.05.2016
आरोप विरचित करने का दिनांक	1.कल्लू पासी (16.12.2016) 2.राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी (19.01.2016) 3.स्वामी प्रसाद (24.05.2016)
साक्ष्य अनुलेखन आरम्भ करने का दिनांक	07.11.2023
निर्णय घोषित करने के लिये आरक्षित करने का दिनांक	15.07.2026
निर्णय घोषित दिनांक	23.07.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, तो पारित करने का दिनांक	23.07.2026

अभियुक्तगण/अभियुक्तगण के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

नाम अभियुक्तगण	गिरफ्तार/आत्मसमर्पण दिनांक	जमानत की दिनांक	आरोपित अपराध की धारा	निरोधकाल में व्यतीत की गयी कुल अवधि (yy/mm/dd)
अजय उर्फ कल्लू पासी	11.08.2015	18.09.2015	272, 273 IPC & 60, 60(2)Ex Act	00/01/07
राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी	06.01.2016	27.01.2016	272, 273 IPC & 60, 60(2)Ex Act	00/00/21
स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू	18.10.2016	24.10.2016	272, 273 IPC & 60, 60(2)Ex Act	00/00/06

(प्रारूप–ग)
अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची
क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी०डब्लू०–1	निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	हे०कां० अरविन्द कुमार	हमराह साक्षी
पी०डब्लू०–3	निरीक्षक संतोष पासवान	विवेचक
पी०डब्लू०–4	आरक्षी बलराम शुक्ला	चिक लेखक

ख–बचाव साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
––	––	––

ग–न्यायालयीन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--	--	--

क– अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
01	प्रदर्श क–1	तहरीर/फर्द	4/3 व 4/4
02	प्रदर्श क–2	नक्शा नजरी	5/8
03	प्रदर्श क–3	आरोप पत्र –I	4/1 ता 4/2
04	प्रदर्श क–4	आरोप पत्र–II	––
05	प्रदर्श क–5	चिक एफ०आई०आर०	5/2 ता 5/5
06	प्रदर्श क–6	जी०डी० कायमी मुकदमा	5/6
07	प्रदर्श क–7	आरोप पत्र–III	5/2

ख–बचाव

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

ग–न्यायालय

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	वर्णन	पृष्ठ क्रमांक
–	–	–	–

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	भौतिक वस्तुओ का प्रदर्श	वर्णन
1	वस्तु प्रदर्श– 1	–
2	वस्तु प्रदर्श– 2	जरीकैन 20
3	वस्तु प्रदर्श–3	जरीकैन 20
4	वस्तु प्रदर्श–4	एल्यूमिनियम का पतीला
5	वस्तु प्रदर्श–5	प्लास्टिक पाईप

निर्णय

सत्र परीक्षण संख्या 367/2016, सरकार बनाम कल्लू पासी आदि व सत्र परीक्षण संख्या 402/2016, सरकार बनाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी, एक ही मुकदमा अपराध संख्या, धारा व थाने से सम्बन्धित हैं तथा दिनांक 12.04.2022 को न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5, गोण्डा द्वारा उक्त दोनों पत्रावलियों को समेकित किये जाने तथा सत्र परीक्षण संख्या 367/2016, सरकार बनाम कल्लू पासी को लीडिंग पत्रावली होने का आदेश पारित किया गया। तदुपरान्त से दोनों सत्र परीक्षणों का विचारण संयुक्त रूप से न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा अपराध संख्या 259/2015, अन्तर्गत धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60(2) आबकारी अधिनियम सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त विचारण हेतु स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई हैं।

2. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा के न्यायालय से अभियुक्तगण कल्लू पासी आदि व अभियुक्त स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू का मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण क्रमशः दिनांक 03.09.2016 व दिनांक 23.10.2016 को सत्र न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द किया गया है।

3. प्रस्तुत अभियोग वादी मुकदमा निरीक्षक विजयेन्द्र कुमार द्वारा थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा को दी गयी लिखित फर्द बरामदगी/तहरीर दिनांकित 11.08.2015, **प्रदर्श क–1** के आधार पर दिनांक 11.08.2015 को संस्थित हुआ है। वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी/ तहरीर **प्रदर्श क–1** में उल्लिखित है किः–

"आज दिनांक 11.08.2015 को मैं एसएसआई विजयेन्द्र सिंह मय हमराही कां० अरविन्द कुमार, कां० वकील यादव, कां० रामकरन यादव, कां० राजू सिंह के विनावर तलाश व दबिश वांछित अपराधी में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम दुर्जनपुरवा में कुछ लोग नाजायज शराब का निर्माण कर रहे हैं कि इस सूचना पर विश्वास करके मैं S.S.I मय मराही फोर्स के तथा मुखबिर खास को साथ लेकर छिपते छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित सेठलाल पुत्र कृपा राम की बाग में पहुंचा, तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्टी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था तथा दूसरा व्यक्ति पानी को चढा उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकालकर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था तथा लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि अचानक एकाएक धावा बोलकर पकडने हेतु दबिश दी गयी, तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाडी का लाभ उठाकर भाग गये, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया, तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर पासिन पुरवा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्ड बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुरवा, मौजा कुंवर पुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज, जनपद गोण्डा तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी ग्राम कादीपुर पासिनपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा बताया, अवैध कच्ची शराब के बारे में पूछा गया, तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज जहरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते हैं इन दोनों के अपमिश्रण से पीने वालों को अधिक नशा व मौज मिलती है, मौके पर दो जरीकैन में करीब 40 लीटर व एक पिपिया में करीब 5 ली0 कच्ची शराब नाजायज जहरीली भट्टी के पास से बरामद हुई तथा भट्टी पर चढे हुए टिन को उपरवाकर आग को बुझाया गया तथा पतीली व नलकी को कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर एक शीशी में लहन का नमूना लिया गया तथा शेष लहन को नष्ट किया गया तथा निर्माणशुदा शराब को पिपिया से एक बोतल में करीब 700 मिली० शराब को नमूना के बतौर लेकर बोतल नमूना लहन व बरामदशुदा

जरीकैन को व पिपिया को सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त से बरामदशुदा शराब के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो कोई भी कागजात नही दिखा सका, अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 IPC का दण्डनीय अपराध है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त कल्लू को समय 16:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा उपरोक्त माल व शराब बनाने के उपकरणों को कब्जा पुलिस में लिया गया जिस पर चिटबन्दी की गयी, फर्द मौके पर लिखकर पढकर समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है, दौरान कार्यवाही कुछ लोग जनता के आ गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया, तो भलाई बुराई के कारण कोई भी गवाही हेतु तैयार न होकर हटबढ गये, गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्चय न्यायालय व मानवाधिकार के नियमों व आदेशों निर्देशों का पालन किया गया, गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त कल्लू के परिजनों को कां० अरविन्द के द्वारा अभियुक्त के घर भेजी गयी, फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी जा रही है, तथा मौके पर पडे हुए नौसादर व यूरिया को एक कपडे में झिल्ली मे रखकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया।"

4. वादी मुकदमा निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह की उक्त लिखित फर्द/तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर दिनांक 11.08.2015 को समय 16:30 बजे थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा पर अभियुक्तगण कल्लू, स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू व राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 259/2015, धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–3** पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई।

5. दौरान विवेचना प्रथम विवेचक उपनिरीक्षक संतोष पासवान द्वारा केस डायरी के पर्चे किता किये गये और घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किये गये और विवेचक द्वारा विवेचना पूर्णकर लिये जाने के पश्चात धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में अभियुक्त कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू के विरूद्ध भिन्न–भिन्न तिथियों में क्रमशः दिनांक 16.12.2016, 19.01.2016 व 24.05.2016 को आरोप पत्र प्रेषित किये गये। आरोप पत्रों पर विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रंसज्ञान लिया गया और अभियुक्तगण को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराकर प्रकरण को सत्र सुपुर्द किया गया, जिसके आधार पर यह सत्र परीक्षण आरम्भ हुआ।

6. विचारण के दौरान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 3, गोण्डा द्वारा दिनांक 16.12.2016 को अभियुक्तगण कल्लू व राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी के विरूद्ध व दिनांक 06.01.2017 को अभियुक्त स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू के विरूद्ध धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। आरोप विरचित होने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य दिनांक 07.11.2023 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 07.03.2024 को समाप्त हुआ।

7. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** अंकित किये गये। जिसमें समस्त अभियुक्तगण कल्लू पासी व राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी द्वारा अभियोजन कथानक व साक्षीगण के साक्ष्य को गलत होने तथा ग्राम प्रधान से चुनावी रंजिश को लेकर हमने व हमारे घर वालों ने ग्राम प्रधान का विरोध किया था। प्रधान चुनाव जीतने पर रंजिश रखने लगे। प्रधान जी का पुलिस से दोस्ताना संबन्ध था, जिस कारण प्रधान व पुलिस ने सांठगांठ करके कथित घटना के तीन वर्ष पूर्व प्रार्थी को अकारण घऱ से पकडकर थाने ले आये तथा तीन दिन तक थाना परिसर में बैठाए ऱखे। तत्पश्चात उक्त फर्जी मुकदमे में चालान कर दिया। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है। अभियुक्त स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू द्वारा कथन किया गया है कि

अभियोजन कथानक व साक्षीगण का साक्ष्य गलत है तथा उसे न तो मौके पर पकड़ा गया और नही उसके कब्जे से किसी भी वस्तु पदार्थ की बरामदगी हुई है, मौके पर ऐसी कोई घटना नहीं घी है, विगत चुनाव में ग्राम प्रधान का विरोध किया था, प्रधान जी चुनाव जीत गये तथा रंजिश रखने लगे, पुलिस से प्रधान जी का काफी होस्ताना सम्बन्ध था, जिसका बेजा लाभ लेकर प्रधान जी ने उक्त फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है। मैं बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह हूँ।

8. अभियुक्तगण के द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही बचाव पक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत किये गये हैं।

9. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों के विषय में विचार किये जाने से पूर्व अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

अभियोजन साक्ष्य

10. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 1 निरीक्षक विजयेन्द्र (वादी मुकदमा)** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि:–

''मैं दिनांक 11.08.2015 को थाना करनैलगंज में एस०एस०आई० के पद पर नियुक्त था, उस दिन मैं हमराह कां० अरविन्द कुमार, कां० वकील यादव, कां० राम करन यादव, कां० राजू सिंह के साथ तलाश व दबिश वांछित अभियुक्त में मामूर था। जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम दुर्जनपुरवा कुछ लोग कच्ची नाजायज़ शराब का निर्माण कर रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर मैं मय हमराही व मुखबिर को साथ लेकर छिपते–छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित शेषलाल के बाग में पहुंचा तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्ठी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति पानी को चढ़ा–उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकाल कर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था व लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि अचानक एकाएक धावा बोलकर पकड़ने हेतु दबिश दी गयी तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड़ लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गये। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर पासिनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जनपदगोण्डा बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम, पता पूछा गया तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुर, मौजा कुंवरपुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी कादीपुर पासिनपुरवा, थाना कर्नलगंज बताया तथा कच्ची शराब के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज़ ज़हरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते है। इन दोनों के मिश्रण से पीने वालों को अधिक नशा मिलता है। मौके पर **दो जरीकैन में 40 लीटर व एक पिपिया में करीब 05 लीटर कच्ची शराब** नाजायज़ जहरीली भट्ठी के पास से बरामद हुई तथा भट्ठी पर चढ़ी हुई टिन को उतरवाकर आग को बुझाया गया तथा पतीली व नलकी को कब्जा पुलिस में लिया गया, मौके पर एक शीशी में लहन का नमूना लिया गया तथा शेष लहन को नष्ट किया गया तथा निर्माण शराब को पिपिया से एक बोतल में करीब 700 एम०एल० शराब नमूना के बतौर लेकर बोतल नमूना लहन व बरामदशुदा जरीकैन व पिपिया को सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त से बरामदशुदा शराब के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता का दण्डनीय अपराध है। बताकर अभियुक्त कल्लू को समय 16:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा माल व शराब बनाने के उपकरणों को कब्जा पुलिस में लिया गया, जिस पर चिटबन्दी की गयी। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर, सुनाकर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये। दौरान कार्यवाही जनता के तमाम लोग इकट्ठा हो गये,

जिनसे गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई का कारण बताकर हट बढ़ गये। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा दौरान कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों व आदेशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को कां० अरविन्द के द्वारा दी गयी थी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। मौके पर पड़े हुए नौसादर व यूरिया को एक कपड़े के झिल्ली में रखकर सील कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द कागज सं० 4/3 व 4/4 के रूप में संलग्न पत्रावली है, जो मेरे लेख में है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। बरामदशुदा माल आज न्यायालय पर हाजिर है, जिसमें एक पिपिया 05 लीटर, जिस पर मु०अ०सं० 259/15, अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भा०दं०सं० अंकित है। दो जरीकैन 20–20 लीटर के सील्ड बंद के हालत में न्यायालय पर उपस्थित है, जिस पर मु०अ०सं० 269/15, अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता अंकित है। एक अल्मुनियम की पतीली, जिसके मुंह पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ है, जिस पर मु०अ०सं० 269/2015, अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272, 273 भा०दं०सं० अंकित है। एक प्लास्टिक की पाइप भी न्यायालय पर उपस्थित है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया गया है तथा माल मुकदमाती दो 20–20 लीटर की जरीकैनों को क्रमशः **वस्तु प्रदर्श–2** व **वस्तु प्रदर्श–3** के रूप में साबित किया गया व एल्यूमिनीयम की पतीली को **वस्तु प्रदर्श–4** के रूप में तथा प्लास्टिक के पाईप को **वस्तु प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया गया।

11. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2 एच०सी० अरविन्द कुमार** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है किः–

''दिनांक 11.08.2025 को मैं थाना कोतवाली करनैलगंज में कां० के पद पर तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी एस०एस०आई० विजयेन्द्र सिंह के साथ हमराह ड्यूटी पर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम दुर्जनपुरवा में कुछ लोग कच्ची नाजायज़ शराब का निर्माण कर रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर एस०एस०आई० विजयेन्द्र सिंह द्वारा हम लोगों को व मुखबिर खास को साथ लेकर छिपते–छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित शेषलाल पुत्र कृपाराम के बाग में पहुंचा, तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्ठी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति पानी को चढ़ा–उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकाल कर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था तथा लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि एकाएक धावा बोलकर पकड़ने हेतु दबिश दी गयी, तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड़ लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाड़ी का लाभ उठाकर भाग लिये। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर, पासियनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम पूछा गया, तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुरवा, मौजा कुंवरपुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज बताया तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी ग्राम कादीपुर पासियनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा बताया। अवैध कच्ची शराब के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज़ ज़हरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते है। इन दोनों के मिश्रण से पीने वालों को अधिक नशा व मौज मिलता है। मौके पर दो जरीकैन में करीब 40 लीटर व एक पिपिया में करीब 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज़ जहरीली भट्ठी के पास से बरामद हुई तथा भट्ठी पर चढ़े हुई टिन को उतरवाकर आग को बुझाया गया तथा पतीली व नलकी को कब्जा पुलिस में लिया गया, मौके पर एक शीशी में लहन का नमूना लिया गया तथा शेष

लहन को नष्ट किया गया तथा निर्माणशुदा शराब को पिपिया से एक बोतल में करीब 700 एम०एल० शराब को बतौर नमूना लेकर नमूना लहन व जरीकैन को व पिपिया को सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त से बरामदशुदा शराब के बारे में लाइसेंस तलब किया गया, तो कोई भी कागजात नहीं दिखा सका। अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272, 273 भारतीय दण्ड संहिता का दण्डनीय अपराध है, जिसका कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त कल्लू को समय 16:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा उपरोक्त माल व शराब बनाने के उपकरणों को कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना मेरे द्वारा ही अभियुक्त कल्लू को दी गयी थी। फर्द मौके पर तैयार कर सर्व सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी थी और अलामात बनवाये गये थे। फर्द कागज सं०–4/3 व 4/4 के रूप में संलग्न है, जिस पर पूर्व से **प्रदर्श क–1** पड़ा हुआ है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।''

12. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3 संतोष पासवान(विवेचक)** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है किः–

"मैं दिनांक 12.08.2015 को थाना करनैलगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मु०अ०सं०–259/2015, अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272, 273 भा०दं०सं० की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् पर्चा नं०–1 किता किया गया था, जिसमें नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर उसका इंद्राज केस डायरी में किया गया, तदोपरान्त बयान एफ०आई०आर० लेखक हेड कां० बलराम शुक्ला व कां० मोहर्रिर यादवेन्द्र यादव तथा गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू के बयानात अंकित किये गये। दिनांक 13.08.2015 को पर्चा नं०–2 किता किया गया, जिसमें बयान वादी एस०एस०आई० विजेन्द्र सिंह, फर्द गवाह कां० अरविन्द कुमार, कां० वकील यादव, कां० राम करन यादव, कां० राजू सिंह के बयान अंकित किये गये एवं वादी मुकदमा के निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया, जो कागज सं०–5/8 के रूप में संलग्न पत्रावली है, जो मेरे लेख में है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूॅ। दिनांक 25.08.2015, 21.09.2015 व दिनांक 02.10.2015 को क्रमशः पर्चा नं०–3, 4 व 5 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त कल्लू के 14 दिवसीय रिमाण्ड की याचना माननीय न्यायालय से की गयी है। दिनांक 04.10.2015 को पर्चा सं०–6 किता किया गया, जिसमें बरामद माल के परीक्षण के लिये विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजे जाने की अंकना करते हुए एवं दाखिल माल के लॉट नम्बर की अंकना करते हुए अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र संख्या–158/2015 संलग्न पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूॅ। दिनांक 02.11.2015 को पूरक पर्चा–1 काटा गया, जिसमें नामित अभियुक्त भज्जू पासी व किल्लू के घर दबिश दी गयी, परन्तु दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 09.12.2015 को पूरक पर्चा–2 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त भज्जू पासी व किल्लू के घर दबिश दी गयी, किन्तु दस्तयाब नहीं हुए। दिनांक 19.01.2016 को पूरक पर्चा–3 किता किया गया, जिसमें भाग जाने वाले अभियुक्त भज्जू को जिला कारागार से तलब किया गया तथा उसके 14 दिवसीय रिमाण्ड की याचना माननीय न्यायालय से की गयी। दिनांक 19.01.2016 को पूरक पर्चा–4 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी के बयानात अंकित किये गये। तदोपरान्त बयान वादी, बयान गवाह व निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ भज्जू के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र संख्या–158ए/15 संलग्न पत्रावली है, जो मेरे लेख में है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की मैं पुष्टि करता हूॅ। तदुपरान्त पूरक पर्चा–5 लगायत 9 किता करते हुए अन्य कार्यवाही सम्पादित की गयी। दिनांक 24.05.2016

को मैंने उपरोक्त वाद के अभियुक्तों को धारा–41क सी०आर०पी०सी० की नोटिस प्राप्त कराकर अभियुक्त स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–60(2) आबकारी अधिनियम व धारा–272, 273 भा०दं०सं०, थाना करनैलगंज, गोण्डा में माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था, जो एस०टी० नं०–402/2016 में कागज सं०–5/2 है, जिसे मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की तस्दीक करता हूॅ। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

इस साक्षी के द्वारा नक्शा नजरी घटनास्थल को **प्रदर्श क–2** के रूप में तथा अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्रों को क्रमशः को **प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4** व **प्रदर्श क–7** के रूप में किया गया।

13. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 बलराम शुक्ला (कम्प्यूटर ऑपरेटर)** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि:–

''मैं दिनांक 11.08.2015 को थाना करनैलगंज में कम्प्यूटर ऑरेटर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा एस०एस०आई० विजेन्द्र सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 259/15, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता बनाम कल्लू आदि के विरूद्ध कम्प्यूटर पर किता किया गया था, जो कागज सं० 5/2 लगायत 5/5 संलग्न पत्रावली है, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के 3 हस्ताक्षर व मुहर थाने की अंकित है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूॅ। उक्त मुकदमें की कायमी मेरे साथ तैनात कां० मुहर्रिर यादवेन्द्र यादव द्वारा जी०डी० नं०–44, समय 18:15 बजे दिनांकित 11.08.2015 को किता किया गया था, जो संलग्न पत्रावली है। मैंने उन्हें लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है। कायमी कागज सं०–5/6 के रूप में संलग्न है, जो कांस्टेबिल मुहर्रिर यादवेन्द्र यादव के लेख में है, जिस पर उनके सूक्ष्म हस्ताक्षर मौजूद है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूॅ। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

इस साक्षी के द्वारा **चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट** को **प्रदर्श क–5** व **कायमी जी०डी०** को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया गया है।

<u>बचाव पक्ष के साक्षी।</u>

14. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

<u>मौखिक तर्क अभियोजन पक्ष।</u>

15. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू भाग गये तथा मौके पर अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया तथा नौशादर मिलाकर तैयार की गयी 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके उक्त देशी शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया था। अभियुक्तगण का उपरोक्त अपराध अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे साबित होता है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने घटना का समर्थन किया है। घटना संदेह से परे साबित होती है, यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पूर्णतः साबित है।

<u>मौखिक तर्क बचाव पक्ष।</u>

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये

गये समस्त आरोप झूठे हैं। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी के बयान के आधार पर सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है, उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः उनको अभियुक्त बनाने सम्बन्धी सह अभियुक्त कल्लू पासी के बयान का कोई महत्व नहीं है। अभियोजन साक्षियों के बयान के अनुसार मौके पर पांच पुलिस वाले गये थे, परन्तु फर्द पर हस्ताक्षर मात्र चार लोगों के हैं। प्रकरण में धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि अभियुक्त कथित शराब का विक्रय अथवा उसमें मिलावट करते हुए नहीं पाये गये हैं। विवेचक ने बगैर एफ०एस०एल० रिपोर्ट के धारा 272, 273 भारतीय दण्ड संहिता में गलत ढंग से आरोप पत्र प्रेषित किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण निर्दोष है।

17. मैंने अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

18. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू भाग गये तथा मौके पर अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया तथा नौशादर मिलाकर तैयार की गयी 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके उक्त देशी शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया था। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु बनाये जाते हैः–

(अ) क्या अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा गया और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू मौके से भाग गये। मौके से गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया, नौशादर युक्त 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये ?

(ब) क्या अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके अपमिश्रित कच्ची शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया ?

(स) यदि अभियुक्तगण के द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित हो जाता है, तो दण्ड?

19. **निस्तारण अवधार्य बिन्दु (अ)**

(अ) क्या अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा गया और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू मौके से भाग गये। मौके से गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया, नौशादर युक्त 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये ?

20. प्रकरण के गुणदोष पर विचार करने से पूर्व प्रकरण से सम्बन्धित कानूनी पहलूओं को जान

लेना आवश्यक है। धारा 60 आबकारी अधिनियम यह प्राविधानित करती है कि–

60(1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश अथवा तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लघंन करके, --

(क) किसी मादक वस्तु का निर्यात करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम की धारा 63 के अधीन अनाच्छादित किसी मादक वस्तु का परिवहन करता है या उसे कब्जे में रखता है ; अथवा

(ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आच्छादित चरस, गांजा या किसी अन्य मादक औषधि से भिन्न प्राकृतिक एवं स्वतः उपज वाले जंगली भारतीय भांग (केनेबिस सेटाइवा) के पौधे की पत्तियां और छोटे डण्ठल (जिनमें फूलो या फलो के अग्रभाग सम्मिलित नहीं है) का संग्रह या विक्रय करता है ; अथवा

(घ) कोई आसवनी "यवासवनी, विनिर्माणशाला" या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है ; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण, ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के विनिर्माण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, "यवासवनी, विनिर्माणशाला", द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है ;अथवा

(छ) विक्रय के प्रयोजन के लिये किसी शराब को बोतल में बन्द करता है ;

(ज) धारा 61 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है ; अथवा

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले किन्हीं वृक्षों से ताड़ी चुराता है, या निकालता है ;

तो उसे कारावास से दण्डित किया जायेगा जो उपखण्ड (झ) के अधीन किसी अपराध की स्थिति में दो वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है और किसी अन्य स्थिति में कारावास से दण्डित किया जायेगा जो तीन वर्ष तक का हो सकता है और ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिफल शुल्क की धनराशि या शुल्क जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या तद्धीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गई होती तो उदग्रहणीय होती, के दस गुने या दो हजार रूपये जो भी अधिक हो, से कम न होगी ।

(2) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा गया और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू मौके से भाग गये। मौके से गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया, नौशादर युक्त 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गयेबनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके, किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, का दण्ड दिया जायेगा और उसे जुर्माने का भी दण्ड दिया जायेगा जो पाँच हजार रूपये से कम नही होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है ।

(3) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश का उल्लघंन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है, उसे जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दो हजार रूपये तक हो सकता है।

21. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया

है कि अभियुक्तगण को थाना कर्नेलगंज की पुलिस टीम के द्वारा 45 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। साक्षीगण के बयान से घटना साबित होती है।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी के बयान के आधार पर सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है, उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः उनको अभियुक्त बनाने सम्बन्धी सह अभियुक्त कल्लू पासी के बयान का कोई महत्व नहीं है। अभियोजन साक्षियों के बयान के अनुसार मौके पर पांच पुलिस वाले गये थे, परन्तु फर्द पर हस्ताक्षर मात्र चार लोगों के हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों में घटनास्थल एवं घटनास्थल से अभियुक्त कल्लू पासी की गिरफ्तारी तथा शेष अभियुक्तगण के भाग जाने के सम्बन्ध में घोर विरोधाभाष है।

23. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी/तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** के अवलोकन से विदित है कि उक्त **प्रदर्श क–1** में यह उल्लिखित है कि "आज दिनांक 11.08.2015 को मैं एसएसआई विजयेन्द्र सिंह मय हमराही कां० अरविन्द कुमार, कां० वकील यादव, कां० रामकरन यादव, कां० राजू सिंह के विनावर तलाश व दबिश वांछित अपराधी में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम दुर्जनपुरवा में कुछ लोग नाजायज शराब का निर्माण कर रहे हैं कि इस सूचना पर विश्वास करके मैं S.S.I मय मराही फोर्स के तथा मुखबिर खास को साथ लेकर छिपते छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित सेठलाल पुत्र कृपा राम की बाग में पहुंचा, तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्टी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं, एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था तथा दूसरा व्यक्ति पानी को चढा उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकालकर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था तथा लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि अचानक एकाएक धावा बोलकर पकडने हेतु दबिश दी गयी, तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाडी का लाभ उठाकर भाग गये, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया, तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर पासिन पुरवा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्ड बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुरवा, मौजा कुंवर पुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज, जनपद गोण्डा तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी ग्राम कादीपुर पासिनपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा बताया, अवैध कच्ची शराब के बारे में पूछा गया, तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज जहरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते हैं इन दोनों के अपमिश्रण से पीने वालों को अधिक नशा व मौज मिलती है, मौके पर दो जरीकैन में करीब 40 लीटर व एक पिपिया में करीब 5 ली0 कच्ची शराब नाजायज जहरीली भट्टी के पास से बरामद हुई तथा भट्टी पर चढे हुए टिन को उपरवाकर आग को बुझाया गया तथा पतीली व नलकी को कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर एक शीशी में लहन का नमूना लिया गया तथा शेष लहन को नष्ट किया गया तथा निर्माणशुदा शराब को पिपिया से एक बोतल में करीब 700 मिली० शराब को नमूना के बतौर लेकर बोतल नमूना लहन व बरामदशुदा जरीकैन को व पिपिया को सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा अभियुक्त से बरामदशुदा शराब के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो कोई भी कागजात नही दिखा सका, अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 IPC का दण्डनीय अपराध है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त कल्लू को समय 16:30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा उपरोक्त माल व शराब बनाने के उपरकणों को कब्जा पुलिस में लिया गया जिस पर

चिटबन्दी की गयी, फर्द मौके पर लिखकर पढकर समस्त सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है, दौरान कार्यवाही कुछ लोग जनता के आ गये जिनसे गवाही हेतु कहा गया, तो भलाई बुराई के कारण कोई भी गवाही हेतु तैयार न होकर हटबढ गये, गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्चय न्यायालय व मानवाधिकार के नियमों व आदेशों निर्देशों का पालन किया गया, गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त कल्लू के परिजनों को कां० अरविन्द के द्वारा अभियुक्त के घर भेजी गयी, फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी जा रही है, तथा मौके पर पडे हुए नौसादर व यूरिया को एक कपडे में झिल्ली मे रखकर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया।" इस प्रकार से उक्त फर्द बरामदगी से स्पष्ट है कि पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के समय घटनास्थल से दो सफेद पिपियों में यूरिया व नौशादर युक्त लगभग 45 लीटर मिश्रित अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित बरामद किया गया। अभियुक्त कल्लू पासी के सह अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू घटनास्थल से भाग गये।

24. इसी क्रम में साक्षी **पी०डब्लू०-1 निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्यपरीक्षा के **पृष्ठ संख्या 27क/1** पर फर्द बरामगी/तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क-1** का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 11.08.2015 को थाना करनैलगंज में एस०एस०आई० के पद पर नियुक्त था, उस दिन मैं हमराह कां० अरविन्द कुमार, कां० वकील यादव, कां० राम करन यादव, कां० राजू सिंह के साथ तलाश व दबिश वांछित अभियुक्त में मामूर था। जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम दुर्जनपुरवा कुछ लोग कच्ची नाजायज़ शराब का निर्माण कर रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर मैं मय हमराही व मुखबिर को साथ लेकर छिपते-छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित शेषलाल के बाग में पहुंचा तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्ठी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति पानी को चढ़ा-उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकाल कर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था व लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि अचानक एकाएक धावा बोलकर पकड़ने हेतु दबिश दी गयी तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड़ लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गये। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर पासिनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जनपदगोण्डा बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम, पता पूछा गया तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुर, मौजा कुंवरपुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी कादीपुर पासिनपुरवा, थाना कर्नलगंज बताया तथा कच्ची शराब के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज़ ज़हरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते है।" इस प्रकार से इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया तथा सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू घटनास्थल से भाग गये। इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तृत प्रतिपरीक्षा की है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं उजागर नहीं होता है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य को नकारा जा सके।

25. इसी क्रम में घटना की पुष्टि करते हुए साक्षी **पी०डब्लू० 2 एच०सी० अरविन्द कुमार** जो कि पुलिस टीम में शामिल थे और वादी मुकदमा साक्षी **पी०डब्लू०-1 निरीक्षक विजेयन्द्र सिंह** के हमराही थे, ने अपनी मुख्यपरीक्षा के **पृष्ठ संख्या 28क/1** पर कथन किया है कि "दिनांक 11.08.2025 को मैं थाना कोतवाली करनैलगंज में कां० के पद पर तैनात था, उस दिन मेरी ड्यूटी एस०एस०आई० विजयेन्द्र सिंह के साथ हमराह ड्यूटी पर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली

कि ग्राम दुर्जनपुरवा में कुछ लोग कच्ची नाजायज़ शराब का निर्माण कर रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर एस०एस०आई० विजयेन्द्र सिंह द्वारा हम लोगों को व मुखबिर खास को साथ लेकर छिपते–छिपाते ग्राम दुर्जनपुरवा में स्थित शेषलाल पुत्र कृपाराम के बाग में पहुंचा, तो देखा कि तीन व्यक्ति बाग के बीच में भट्ठी पर अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति पानी को चढ़ा–उतार रहा था तथा तीसरा व्यक्ति शराब को निकाल कर जरीकैन में इकट्ठा कर रहा था तथा लहन में नौसादर व यूरिया मिला रहा था कि एकाएक धावा बोलकर पकड़ने हेतु दबिश दी गयी, तो उपरोक्त तीनों में से जो व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रहा था, पकड़ लिया गया तथा शेष दोनों व्यक्ति झाड़ी का लाभ उठाकर भाग लिये। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम कल्लू पुत्र राजेन्द्र पासी, निवासी कादीपुर, पासियनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा बताया तथा भागे हुए व्यक्तियों का नाम पूछा गया, तो एक का नाम स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू पुत्र भगौती, निवासी दुर्जनपुरवा, मौजा कुंवरपुर अमरहा, थाना कर्नेलगंज बताया तथा दूसरे का नाम राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी पुत्र रामखेलावन, निवासी ग्राम कादीपुर पासियनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा बताया। अवैध कच्ची शराब के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग इस अवैध कच्ची शराब नाजायज़ ज़हरीली को नौसादर व यूरिया डालकर तैयार करते है।।" इस प्रकार से इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया तथा सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू घटनास्थल से भाग गये। इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने विस्तृत प्रतिपरीक्षा की है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं उजागर नहीं होता है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य को नकारा जा सके।

26. जहाँ तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा अभियुक्त कल्लू पासी के बयान के आधार पर सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को फर्जी ढंग से अभियुक्त बनाया गया है, उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अतः उनको अभियुक्त बनाने सम्बन्धी सह अभियुक्त कल्लू पासी के बयान का कोई महत्व नहीं है, तो इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह एवं उसके हमराह साक्षी पी०डब्लू० 2 कां० अरविन्द कुमार सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा के बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा घटनास्थल पर शराब बनाते हुए तीन व्यक्तियों को पाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति कल्लू पासी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया, जबकि दो व्यक्ति मौके से भाग गये। उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू के रूप में अभियुक्त कल्लू पासी के द्वारा बताया गया है। उक्त दोनों अभियुक्त घटनास्थल से पुलिस टीम के सामने भाग गये हैं और घटनास्थल पर ही अभियुक्त कल्लू पासी ने उनके नाम पुलिस टीम को बताये हैं। प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल शेषलाल का बाग अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा हैं और घटना का समय दिनांक 11.08.2015 को सायं साढे चार बजे के बाद का है। उक्त बाग में जनता के गवाहों का मिलना स्वाभाविक रूप से सम्भव नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि आम जनमानस के व्यक्ति भलाई बुराई के कारण पुलिस के प्रकरणों में गवाही देने से बचते हैं। अतः इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क बलहीन है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के बयान के अनुसार मौके पर पांच पुलिस वाले गये थे, परन्तु फर्द पर हस्ताक्षर मात्र चार लोगों के हैं। इस सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि फर्द बरामदगी पर समस्त पुलिस पार्टी के मेम्बरान के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक हो, ऐसा कोई प्राविधान आबकारी अधिनियम नहीं करता है। अतः फर्द

बरामदगी पर पुलिस टीम के एक व्यक्ति के हस्ताक्षर न होने से फर्द बरामदगी को फर्जी एवं मनगढ़ंत नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क पूर्णतः बलहीन है।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों में घटनास्थल एवं घटनास्थल से अभियुक्त कल्लू पासी की गिरफ्तारी तथा शेष अभियुक्तगण के भाग जाने के सम्बन्ध में घोर विरोधाभाष है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षीगण के बयानों में थोड़ा बहुत अन्तर आना स्वाभाविक है। साक्षीगण के बयानों में थोड़ा बहुत अन्तर होने से यह नहीं माना जा सकता है कि वह झूंठ बोल रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि दृष्टान्त **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra, (2016) 10 SCC 537** में यह निर्धारित किया है कि–

> "Minor contradictions in the testimonies of the Prosecution Witness are bound to be there and infact they go to support the truthfulness of the witnesses."

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि साक्षी के बयानो में थोडा–बहुत मामूली विरोधाभास आना स्वभाविक है और ऐसे किसी मामूली विरोधाभास के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नही है कि अभियोजन का कथानक संदेहास्पद है।

29. अतः उपर्युक्त समस्त साक्ष्य की समग्र विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा गया और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू मौके से भाग गये।

30. <u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु (ब)</u>

(ब) क्या अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके अपमिश्रित कच्ची शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया ?

31. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय हेतु बनाई जा रही कच्ची शराब में जानबूझकर यूरिया व नौशादर मिश्रित करके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बनाया जा रहा था। यह अभियोजन साक्ष्य से संदेह से परे साबित होता है।

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे यह साबित होता हो कि कथित घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा शराब का विक्रय किया जा रहा था अथवा कथित बरामदशुदा शराब विक्रय हेतु निर्मित की गयी हो।

33. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि फर्द बरामदगी/तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–1** तथा वादी मुकदमा साक्षी **पी०डब्लू० 1 निरीक्षक विजयेन्द्र सिंह** के साक्ष्य के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। इस प्रकार से अपराध का घटनास्थल ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा के अन्तर्गत शेषलाल का बाग है। नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–2** में घटनास्थल के पूर्व में शिवसरन का धान का खेत, दक्षिण में साहब बाबा का धान का खेत, पश्चिम में शिव भगवान का खाली खेत एवं उत्तर में रतन का खाली खेत दर्शाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल पर कोई आबादी नहीं थी। अभियोजन द्वारा

प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य में यह भी आया है कि घटनास्थल पर अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य कोई आदमी उपस्थित नहीं पाया गया था। घटनास्थल से मात्र एक व्यक्ति अभियुक्त कल्लू पासी को गिरफ्तार किया गया था और सह अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गये थे। किसी व्यक्ति को शराब खरीदते अथवा विक्रय करते हुए नहीं पाया गया है। अभियुक्तगण भी किसी व्यक्ति को शराब विक्रय कर रहे थे अथवा करना चाहते थे, इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

34. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 यह प्राविधानित करती है कि–

> **272. Adulteration of food or drink intended for sale.—** Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
>
> The U.P. amendment to the said section is also as under :
>
> Uttar Pradesh - In section 272 for the words 'shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which
>
> may extend to one thousand rupees, or with both" the following shall be substituted, namely:-
>
> "shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine: Provided that the court may, for adequate reason to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment to life."

35. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता लागू होने के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा विधि दृष्टान्त **CRIMINAL APPEAL No. - 1822 of 2016, Ram Shankar vs State Of U.P** निर्णय दिनांकित 26.10.2021 में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया गया है और यह निर्धारित किया गया है किः-

> "After hearing the counsel for the parties this court raised a query to the learned AGA with regard to what was the material available before the trial court in the form of evidence to allege and establish that the country liquor seized from the possession of the appellant was intended for sale. After going through the entire judgment and the evidence referred, to leading to the conviction of the appellant by means of the impugned judgment, there is no whisper with regard to the intention of the appellant to sell the alleged country liquor. Even the recovery so made from the appellant do not point out to recovery of any packaging material in the form of bottles, labels etc. to demonstrate that the alleged country liquor was intended for sale. There is no evidence on record to establish that adding of Urea tothe liquor would render the same noxious for human consumption. Although the word 'noxious' is not defined in the U.P. Excise Act or even in the I.P.C., the word 'noxious' on its plain reading means adding of a substance with an intent to make it poisonous or harmful. Section 3(9) of the U.P. Excise Act defines 'denatured' to mean anything which

is rendered unfit for human consumption in such manner as may be prescribed by the State Government by a notification on that behalf. The definition of word 'denatured' is as under :

"Denatured"- "Denatured" means rendered unfit for human consumption in such manner as may be prescribed by the State Government by notification in this behalf. When it is proved that any spirit contains any quantity of any substance prescribed by the State Government for the purpose of denaturation the court may presume that such spirit is or contains or has been derived from denatured spirit.

To come to a conclusion that the liquor recovered from the possession of the appellant would fall within the definition of section 3(9) of the U.P. Excise Act, it had to be alleged and established that adding of Urea was contrary to the notification or that the said Urea was in excess of what was prescribed by any notification so as to render the country liquor as 'denatured'. There is no such material on record either before this Court or before the Trial Court to come to a conclusion that the liquor recovered was 'denatured'. In the absence thereof, it could not be said that the liquor so recovered was rendered 'noxious' for human consumption and further there is no material to implicate the appellant under section 272 of I.P.C. as there was no material to come to the conclusion that the said country liquor was intendedfor sale. In the absence of any material to demonstrate that the country liquor so recovered wasrendered 'noxious'/'denatured' and was intended for sale, the conviction of the appellant under section 272 I.P.C. cannot be justified. However, the conviction of the appellant under section 60(2) of the U.P. Excise Act cannot be faulted with. In view of the evidence on record as the appellant has already undergone more than six years in imprisonment, the appeal is disposed off with direction that the appellant shall be released forthwith on the sentence already undergone. Office is directed to send a copy of this judgment along with the lower court record to the court concerned forthwith for necessary information and compliance.”

36. इसी प्रकार से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा विधि दृष्टान्त **CRIMINAL APPEAL No. - 5815 of 2019 Ashok vs State of U.P.** निर्णय दिनांकित 05.01.2021 में दोषसिद्ध अभियुक्तगण को धारा 272 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषमुक्त किया गया है और धारा 60(2) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि:–

> “On a careful scrutiny of the impugned judgment and materials available on record, I am of the opinion that the prosecution in this case has failed to prove its case beyond all reasonable doubt. Two basic and important things are lacking. Firstly, there is no evidence on record to prove that the recovered item was meant for sale. Secondly, that the recovered item comes within the category obnoxious food/drink harmful for human consumption, so as to hold the appellant guilty of

theoffences under Section 272 IPC. At the most, offence, if any can be attributed to the appellant is under Section 60(2) of U. P. Excise Act only."

37. प्रस्तुत मामले में भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह संदेह से परे स्पष्ट नहीं होता है कि बरामद शुदा कच्ची शराब विक्रय के लिये थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद कच्ची शराब मानव उपभोग के लिए हानिकारक अप्रिय भोजन/पेय की श्रेणी में आती है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके अपमिश्रित कच्ची शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया।

38. निस्तारण अवधार्य बिन्दु (स)

(स) यदि अभियुक्तगण के द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित हो जाता है, तो दण्ड?

39. उपरांकित समस्त साक्ष्य की समग्र विवेचना के आधार पर समग्र विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 11.08.2015 को समय करीब 16:30 बजे, बहद स्थान शेषलाल के बाग में अन्तर्गत ग्राम दुर्जनपुरवा, थाना कर्नेलगंज, जिला गोण्डा में अपमिश्रित कच्ची शराब बना रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाते हुए अभियुक्त कल्लू पासी को पकड़ा गया और सह अभियुक्तगण राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू मौके से भाग गये। मौके से गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू पासी के पास से यूरिया, नौशादर युक्त 45 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये, परन्तु अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा विक्रय के आशय से यूरिया व नौशादर मिश्रित करके अपमिश्रित कच्ची शराब को स्वास्थ्य के लिये अपायकर बनाया गया। अतः अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को **धारा 60 (2)** संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है तथा अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को **धारा 272 व 273 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

40. अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू जमानत पर हैं, उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

41. दोषसिद्ध अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू दण्ड के बिन्दु पर अपना तर्क प्रस्तुत करें। पत्रावली मध्यावकाश उपरान्त पेश हो।

(विकास)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

दिनांकः 23.07.2026

त्वरित न्यायालय, नवीन, गोण्डा।
(J.O Code-UP1785)

<u>मध्यावकाश उपरांत–</u>

42. दोषसिद्ध अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। उनके विरूद्ध **धारा 60 (2)** संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप साबित है। सजा के बिन्दु पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

43. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने भलिभांति समझबूझ कर घटना कारित की है, जिसमें उसके द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करने की मंशा से विक्रय हेतु कच्ची शराब बनाया जाना पाया गया है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

44. दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू का यह प्रथम अपराध है, वे बेहद गरीब हैं और वे मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अभियुक्तगण का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण परिस्थितिवश झूठा फंस गये हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उदार रूख अपनाते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए उनको प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की कृपा की जावे।

45. उपरांकित विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण के पास से मात्र 45 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। बरामदशुदा शराब की मात्रा तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण के अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की **धारा 60(2)** के तहत दण्डादेश के बजाय उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुये सम्बन्धित प्रोवेशन अधिकारी गोण्डा के समक्ष **मु० 20,000/– रूपये** के निजी बन्धपत्र व समान धनराशि का **दो** जमानती व इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आज से छः माह की अवधि के दौरान शान्ति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्तों के अधीन परीविक्षा पर छोडा जाना न्यायोचित होगा।

46. **<u>आदेश</u>**

(i) सत्र परीक्षण संख्या 367/2016, राज्य प्रति कल्लू पासी आदि में दोषसिद्ध अभियुक्तगण **कल्लू पासी व राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी** एवं सत्र परीक्षण संख्या 402/2016, राज्य प्रति स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू आदि में दोषसिद्ध अभियुक्त **स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू** को आरोप अन्तर्गत **धारा 60(2)** संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अपराध में दण्डादेश के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुये **प्रत्येक** को **मु० 20,000/– रूपये के निजी बन्धपत्र व समान धनराशि के दो जमानती** प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष दाखिल करने पर **छः माह** की अवधि के लिये प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण इस बात की अण्डरटेंकिग देगा कि वह प्रोबेशन अवधि में किसी आपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

(ii) यदि अभियुक्तगण किसी अपराध में सम्मिलित होता है, तो उसके प्रोबेशन का लाभ समाप्त करते हुये दोषसिद्ध धाराओ में समुचित दण्ड से दण्डित किया जावेगा।

(iii) अभियुक्तगण कल्लू पासी, राजेन्द्र उर्फ भज्जू पासी व स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू को भारतीय दण्ड संहिता **धारा 272 व 273** के आरोपों में दोषमुक्त किया जाता है।

(iV) इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये, एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 402/2016, राज्य प्रति स्वामी प्रसाद गोस्वामी उर्फ किल्लू आदि की पत्रावली पर रखी जाये तथा एक प्रति अनुपालन हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, गोण्डा को प्रेषित हो।

दिनांकः 23.07.2026

(विकास)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, नवीन
गोण्डा। UP-1785

47. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 23.07.2026

(विकास)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय, नवीन
गोण्डा। UP-1785

Digitally signed by VIKAS
Date: 2026.07.24 11:41:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court